

"विज्ञानेन चोदते ये अन्नानि दास्यन्ते युक्तं के
स्यन्तु भुजान्त (विना दास्यन्ते) के प्रेषण
हेतु अयुक्त. प्रमाणं जी. 2-21-उत्तीसगढ़
मण्डल / 31 सि. से. मिस्त्रा, दिनांक
10-05-1991."



पंजीयन क्रमांक
"उत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

प्रमाणं 572] रायपुर, छत्तीसगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2021 — कार्यांक 21, रुक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा
ब्लॉक सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

प्रमाणं 1984/237/आर/रा.ग./21. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की
उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन
मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अतिरिक्त
आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए
वाणिज्य विषय अन्तर्गत वाणिज्य केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	राज्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उक्त विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य परिविश्वकर् शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य अटल बिहारी राजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य राहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य राहीद नन्दकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़

1144

1144

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 नवम्बर 2021

34 (क) (2) (दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय दूर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय विद्युज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 3. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर 5. विभागाध्यक्ष वाणिज्य शासकीय किचोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, जामुल 2. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय महामाया महाविद्यालय, रतनपुर 3. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य, शासकीय दत्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दत्तेश्वर 4. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय, जशपुरनगर 5. विभागाध्यक्ष, वाणिज्य शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के अन्तर्गत पर गतीनीत विषय विशेषज्ञ	1. श्री गोविन्दा भट्ट आर.ए.ए.ए. आर्ट एंड कॉलेज धरमपेट नागपुर 2. डॉ. तपेशचन्द्र गुप्ता शासकीय पी. डी. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. आशीष हरान खान शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला-दुर्ग 4. डॉ. रमेश कुमार पाण्डेय शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर) 5. डॉ. विष्णु कुमार वर्मा शासकीय महाविद्यालय, अकलतरा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक /ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, वाणिज्य, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का
अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चिता
करें।

हरता, /-

(शासदा वर्मा)
आयुक्त.


Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

34(क)(2)(टी) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, फार्मसी शिक्षण विभाग, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(3)(टीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. डीन फार्मसी परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. व्याख्याता, फार्मसी परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. भारती अहिस्वार गुरु धासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) शासन द्वारा अनुश्रुतित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. प्रो. प्रमोदरा एम. तावले आर टी एम विश्वविद्यालय, नगपुर 2. डॉ. संजय देहरवाल परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 3. डॉ. राजेन्द्र ज्योषडे परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 4. डॉ. विशाल, जैन परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 5. विभागध्यक्ष, फार्मसी शिक्षण विभाग, संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, सरगुजा
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ एस टी उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, फार्मसी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2016/237/आउशि/समन्वय/2021- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए गृहविज्ञान शक्या अन्तर्गत गृह विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत धारक	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उच्च विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान परिवेशकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

	3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान हेमचंद्र वादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान संत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान शाहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान शाहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय कन्या महाविद्यालय, जरापुर 2. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतारी 3. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान होलीफारस महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 4. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय दू.ब.महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 5. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय वा.वा. पाठशाला कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(टीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त महाविद्यालय, बासोद 2. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, बिलासपुर-3 3. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय शबरी कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव 5. विभागध्यक्ष, गृह विज्ञान शासकीय के.एम.टी कन्या महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के अन्तर्गत पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. चर्चा गोपाल डोकिया श्री योगानंद स्वामी महाविद्यालय, मांदिड़ महाराष्ट्र 2. डॉ. (श्रीमती) अल्का दुर्गल, शासकीय वा.वा. पाठशाला कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. डॉ. श्रीमती अनुभा झा शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 4. डॉ. शिखा बैनजी शासकीय दू.ब.महिला पी.जी. महाविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. श्रीमती सुष्मा घई शासकीय बिलासपुर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ एस टी उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, गृह विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त


Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2020/237/आरशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए विज्ञान संकाय अन्तर्गत बायो केमिस्ट्री केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमिस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमिस्ट्री पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, बायो केमिस्ट्री पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, बायो केमिस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, बायो केमिस्ट्री पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. हर्षित झा गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसहायक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, बायो केमिस्ट्री अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया सलगन परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)
आयुक्त.


Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2022/237/आरशि/समन्वय/2021.- छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय के अन्तर्गत आधार पाठ्यक्रम केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	नाम/पदनाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, अंग्रेजी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल अंग्रेजी अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल हिन्दी संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, हिन्दी शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय काकातीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय वैशाली नगर महाविद्यालय, भिलाई 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय वि.या.ता. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरुद 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, सक्ती 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, धरसीवाँ
34(क)(3)(चार) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. अशोक सचदेवा हमिदीया महाविद्यालय, भोपाल 2. डॉ. यशेश्वरी धुव, शासकीय वा.वा. पाटनकर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग 3. डॉ. श्रीमती भावणी चक्रवर्ती शासकीय बिलासा स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर 4. डॉ. राजेश कुमार दुदे शासकीय नवीन महाविद्यालय, खरोरा जिला- रायपुर 5. डॉ. राकेश तिवारी शासकीय के.एम.टी. महाविद्यालय, रायगढ़

34(क)(3)(एक) अयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संभालनालय, नया रायपुर
--	---

अयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संभालनालय, नया रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये विन्दुओं के अन्वय पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2024/237/आरशि/समन्वय/2021 - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए शिक्षा संकाय के अन्तर्गत शिक्षा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का विधानुसार गठन किया जाता है -

अधिनियम के अन्तर्गत प्राक्तान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अयुक्त अध्ययन मण्डल, विधि पं. विशाकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर 2. अयुक्त अध्ययन मण्डल विधि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर 3. अयुक्त अध्ययन मण्डल विधि हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय दुर्ग 4. अयुक्त अध्ययन मण्डल विधि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर 5. अयुक्त अध्ययन मण्डल विधि रात महिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा 6. अयुक्त अध्ययन मण्डल विधि शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर 3. विभागाध्यक्ष, विधि राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 4. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय पनखाम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद 5. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय पी.डी. महाविद्यालय, रायगढ़

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	द्वारा 1. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटागारा 2. विभागाध्यक्ष, विधि शासकीय एन.ई.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जशपुर 3. विभागाध्यक्ष, विधि एस.बी.के.पी. ली महाविद्यालय, रायगढ़ 4. विभागाध्यक्ष, विधि सेठ आर.सी.एस. विधि महाविद्यालय दुर्ग 5. विभागाध्यक्ष विधि शिक्षण विभाग सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर
34 (क) (3) (चार) शासन द्वारा अनुशंसित कुलाधिपति द्वारा निर्देशित विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. विजयानंद बेहरा लाजपत राम विधि महाविद्यालय, रायपुर 2. डॉ. सुरेश्वर कुमार शासकीय जे.पी. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. रमणा ताभकार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धाम्तरी 4. श्री प्रदीप शर्मा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 5. श्री रामन नारायण उपाध्याय, विश्वविद्यालय अध्ययन शाखा अम्बिकापुर
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संभालनालय, नया रायपुर

अयुक्त अध्ययन मण्डल, विधि पं. विशाकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये विन्दुओं के अन्वय पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2026/237/आरशि/समन्वय/2021 - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए शिक्षा संकाय अन्तर्गत शारीरिक शिक्षा केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का विधानुसार गठन किया जाता है -

अधिनियम के अन्तर्गत प्राक्तान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अयुक्त अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा पं. विशाकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अयुक्त अध्ययन मण्डल, शारीरिक शिक्षा हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2034/237/आजशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान सहाय अन्तर्गत मनोविज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान पर्यवेक्षक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान सत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोविज्ञान शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय दूर महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय बी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय मानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 5. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जाँजगीर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 2. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान होलीक्रास कन्या महाविद्यालय, अम्बिकापुर 3. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर 4. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 5. विभागध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय ई.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा
34(क)(3)(चार) आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. मृपेन्द्र सिंह बरयतुलना विश्वविद्यालय, भीपाल 2. डॉ. बशीर हसन 3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 4. डॉ. जय सिंह शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 5. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 6. श्रीमती जय श्री पद्माम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ.एस.टी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, पर्यवेक्षक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया सलमन परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शारदा वर्मा)

आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2036/237/आजशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान सहाय अन्तर्गत राजनीति विज्ञान केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान पर्यवेक्षक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, राजनीति विज्ञान सत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल राजनीति विज्ञान शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय बी.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 2. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय कमलादेवी राठी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनादगांव 3. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 4. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय ई.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा 5. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, वैशाली नगर जिला-दुर्ग 2. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय कन्या महाविद्यालय, जगदलपुर 3. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान, शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर 4. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर 5. विभागध्यक्ष, राजनीति विज्ञान शासकीय महाविद्यालय, बीरगांव

34(क)(2)(दी) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास शासकीय जे.पी.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त पंच शिक्षा की सिफारिश के अन्तर्गत पर मनीनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. एस.के. द्विवेदी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर 2. डॉ. अखिलेश पाण्डेय शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर 3. डॉ. मंगला नंद झा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, रायपुर 4. श्री नितेश कुमार मिश्रा प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. डॉ. (श्रीमती) मीना जैन, शासकीय जे.पी.छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
34(क)(3)(पाच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, प्राचीन भारतीय इतिहास, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2042/237/आरशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत भूगोल केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का विनियमन गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्राधान्य	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षा के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल सत महिषा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़

34(क)(2)(दी) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, भूगोल शासकीय बी.पी.एस महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, वैशालीनगर गिलाई 3. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, बलीदा जिला-जाजगीर चापा 5. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागध्यक्ष	1. विभागध्यक्ष, भूगोल शासकीय महाविद्यालय, कुरुद 2. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय महाविद्यालय, लालबहादुर नगर 3. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय ई.पी.जी. महाविद्यालय, कोरवा 4. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर 5. विभागध्यक्ष, भूगोल, शासकीय कन्या महाविद्यालय, जाजगीर
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के अन्तर्गत पर मनीनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. रामभूषण तिवारी इंदिरा गांधी जनजाति विविद्यालय, अमरकंटक 2. डॉ. श्रीमती शीला श्रीधर शासकीय दून महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. जय शिंह साहू, शासकीय कमलादेवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव 4. डॉ. चैतन्य प्रसाद नंद शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, जाजगीर 5. श्री जितेन्द्र कुमार बारले शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर
34(क)(3)(पाच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी. उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, भूगोल, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता / -

(शारदा वर्मा)
आयुक्त

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

क्रमांक 2044/237/आरशि/समन्वय/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान संकाय अन्तर्गत अर्थशास्त्र केन्द्रीय अध्ययन मण्डल का विनियमन गठन किया जाता है :-

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2060/237/आरशि/समन्य/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अंतर्गत अंग्रेजी केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी अटल बिहारी राजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी शाहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, अंग्रेजी शाहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय जे.पी.ई. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय दत्तेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दत्तयादा 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी डी.पी. वि. महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाव 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चापा
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, अम्बिकापुर 2. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, सौपत 3. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय कन्या महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, रामानुजगंज 5. विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी शासकीय महाविद्यालय, गृध्रदेही
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. अमिता चौधरी हनीरिया विश्वविद्यालय, भोपाल 2. डॉ. नीलू श्रीवास्तव शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगाव 3. डॉ. देव श्री चक्रवर्ती शासकीय माधव राव सप्रे महाविद्यालय, पेंड्रासरोड 4. श्री शैलेष मिश्रा शासकीय महाविद्यालय, पाटन 5. डॉ.रीता सोनी शासकीय नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर

34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा आयुक्त अथवा उपसंचालक/ओ.एस.डी.
का प्रतिनिधि उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर

अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, कला संकाय अंतर्गत अंग्रेजी परीक्षक शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को उक्त केन्द्रीय अध्ययन मंडल का अध्यक्ष नामांकित किया जाता है।

कृपया संलग्न परिशिष्ट (अ) में अंकित किये गये विन्दुओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करना सुनिश्चित करें।

हस्ता./-

(शाहदा वर्मा)
आयुक्त.

अटल नगर, दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2062/237/आरशि/समन्य/2021. - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केन्द्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए कला संकाय अंतर्गत हिन्दी केन्द्रीय अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान	नाम / पदनाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मंडल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी प.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी अटल बिहारी राजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी शाहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर 5. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी सत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 6. अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, हिन्दी शाहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय जे. पी. ए. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगाव 3. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर 4. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अम्बिकापुर 5. विभागाध्यक्ष, हिन्दी शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनगीर


Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (G.)

पंचविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (उ.प्र.)
संख्या : 0771-2282802 (अकादमिक विभाग), 0771-2282840 (कुलसचिव कार्यालय)
संक्रमांक: 786-2/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. प्रो. श्रुति झा, शास. महा. पितौरा
2. डॉ. पी.सी. चौधरी, बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महा., धमतरी |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. सुष्मा तिवारी, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
2. डॉ. दिव्या चतुर्वेदी, शास. महाविद्यालय, अभनपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. मधु कामरा, दुर्गा महा., रायपुर
2. डॉ. रिम्ता शर्मा, मूलविज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पी.सी. चौधरी को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनानीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

संक्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक-सी 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पंचविंशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।


Principal



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-10

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. मीना पाठक, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर रायपुर
2. डॉ. ए. राजपुरिया, शास. स्नातकोत्तर महा., धमतरी |
| 28 (2) (iii) | 1. डॉ. निस्तर कुजूर, समाजशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (iv) | 1. श्रीमती साहिना जवीन, महंत ल.ना.दास, महाविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. श्रीमती तरशीला खाखा, शास. महा., अभनपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. मंजू गायकवाड, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. मीना पाठक को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलराष्ट्रिय कार्यालय) Email-academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 1250 / अ.म. / अका. / 2021
प्रति,

रायपुर, दिनांक : 28 / 01 / 2021

प्राचार्य,
शासकीय दूर, महिला स्नातकोत्तर (स्वशास्त्री) महाविद्यालय,
कालीबाड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)

विषय: महाविद्यालय के विभिन्न विभागों को अध्ययन गण्डलों में विषय विशेषज्ञों का मनोनयन याचक।
संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 828 / अध्ययन गण्डल / 2021 रायपुर, दिनांक 08.01.2021

आपके द्वारा प्रेषित अध्ययन गण्डलों में विषय विशेषज्ञों का मनोनयन संबंधी प्रस्ताव पर कुलसचिवों ने मनोनयन कर दिया है। मनोनीत विषय विशेषज्ञों का नाम विषयवार निम्नलिखित है:-

क्र.	विभाग	मनोनीत विषय विशेषज्ञ
1.	समाजशास्त्र	डॉ. अनिता राजपुरिया, प्राध्यापक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
2.	मनो विज्ञान	Dr. Meeta Jha, Prof. & HOD, Pt. R.S. University, Raipur
3.	संगीत	डॉ. लिकेश्वर वर्मा, सहायक प्राध्यापक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
4.	कथक	डॉ. नीता गलारवार, प्राध्यापक, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
5.	भौतिकशास्त्र	डॉ. एन.के. चक्रवर्ती, रीडर, भौतिक अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
6.	प्राणीशास्त्र	Dr. Rakesh Singh, Professor, Govt. M.V.M. Bhopal
7.	रसायनशास्त्र	Dr. Pratima Chandrakur, Professor, Govt. Chhattisgarh College, Raipur
8.	वनस्पतिशास्त्र	डॉ. ए.एन. महादुर, प्राध्यापक, शासकीय आर. विज्ञान महाविद्यालय, गिलासपुर
9.	भूगोल	डॉ. रामभूषण तिवारी, सहायक प्राध्यापक, केन्द्रीय विश्वविद्यालय इंदिरागाँव की राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय, अगरकंटक
10.	इतिहास	डॉ. अनिल कुमार पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, शासकीय व्ही.जाय. तानकर महाविद्यालय, दुर्ग
11.	अंग्रेजी	Dr. Shukla Banerjee, Professor, Govt. NPG Science College, Raipur
12.	हिन्दी	डॉ. सीमा शुक्ला, प्राध्यापक, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर
13.	वाणिज्य	डॉ. विजय अग्रवाल, प्राध्यापक, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
14.	संसाधन प्रबंधन	डॉ. वर्षा रघुवंशी, प्राध्यापक, शासकीय महिला गृह विज्ञान महाविद्यालय, हासगावाड़
15.	बाल विकास	डॉ. आभा तिवारी, प्राध्यापक, शासकीय एम.एच. कॉलेज ऑफ होमसाइन्स, जयलनुर
16.	संस्कृत-पाठ्य	डॉ. अमिता सहगल, प्राध्यापक, शासकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग
17.	शैली-विश्लेषण इन योग्य गण्डल फिलॉसोफी	डॉ. सूरज निषाद, सहायक प्राध्यापक एन.आई.टी. रायपुर
18.	शैली-गण्ड.	डॉ. सी.डी. अगाशे, प्राध्यापक, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
19.	कंप्यूटर विज्ञान	Dr. Hirendra Bikraul, Professor, Dept. of Computer Sci., NIT, Raipur
20.	गणित	Dr. Amitabh Banerjee, Principal, Govt. J.Y. Chhattisgarh College, Raipur
21.	अर्थशास्त्र	डॉ. क.के. विंदल, प्राध्यापक(विभागाध्यक्ष), शासकीय योगानंद महाविद्यालय, रायपुर
22.	संस्कृत	डॉ. सुपमा तिवारी, विभागाध्यक्ष, शासकीय जगन्नाथदेवी महाविद्यालय, राजनांदगांव
23.	राजनीतिशास्त्र	डॉ. अंजना चाकुर, प्राध्यापक, शासकीय विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव

उपरोक्त विषय विशेषज्ञों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिये होगा।

22/01/2021

पृ.क्रमांक : 1251 / अ.म. / अका. / 2021
प्रतिलिपि :-

1. संबंधित सदस्यों को।
2. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक।

पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय, रायपुर का दूरभाष 0771-2262802 (अकादमिक विभाग) पर संचालित है।

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)

कक्षा अधिकारी (अका.)

अटल नगर दिनांक 4 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 2034/237/आउशि/समन्वय/2021 - छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-34 (ए) की उपधारा-(5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा केंद्रीय अध्ययन मंडल के गठन हेतु उक्त अधिनियम की धारा-34 (ए) की उपधारा-(2), (3) एवं (4) के अंतर्गत नामांकन का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ का प्रत्यायोजित किया गया है।

उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा 03 वर्ष के लिए सामाजिक विज्ञान सहाय अन्तर्गत मनोविज्ञान केंद्रीय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान	सदस्य का नाम
34(क)(2)(एक) विश्वविद्यालय के उस विषय के अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष	1. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग 3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान अटल विहारी काजपथी विश्वविद्यालय, विलासपुर 4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान सत महिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा 5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, वस्तर जगदलपुर
34(क)(2)(दो) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय दूब महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर 2. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय वी वाय टी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग 3. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विलासपुर 5. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय टी सी.एल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जॉजगीर
34(क)(3)(तीन) कुलाधिपति द्वारा नामांकित महाविद्यालयों के स्नातक स्तर के विभागाध्यक्ष	1. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय वी सी एस स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी 2. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान हात्तीचंद्रास कन्या महाविद्यालय, अम्बिकापुर 3. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, वैकुण्ठपुर 4. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय किरोडीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ 5. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान शासकीय ई वी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरवा
34(क)(3)(चार) कुलाधिपति द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा की सिफारिश के आधार पर मनोनीत विषय विशेषज्ञ	1. डॉ. भूपेंद्र सिंह वरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल 2. डॉ. वशीर हसन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. जय सिंह शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर 4. डॉ. (श्रीमती) प्रभावती शुक्ला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर 5. श्रीमती जय श्री पंचागम शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी
34(क)(3)(पांच) आयुक्त उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि	आयुक्त अथवा उपसंचालक / ओ एस डी उच्च शिक्षा सचालनालय, रायपुर

Principal
B.C.S. Govt. P.G. College
Dhamtari (C.G.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262810, 2262607. ई-मेल: academicprsu2@gmail.com

क्रमांक / 634 (1) पाठ्यक्रम / अका. / 2022

दिनांक 04 / 05 / 2022

॥ सूचना ॥

मनोविज्ञान केन्द्रीय मण्डल की बैठक मंगलवार दिनांक 10/05/2022 को मध्याह्न 12:00 बजे अध्यक्ष मनोविज्ञान अध्ययनशाला, रायपुर के कक्ष में आयोजित है।

सदस्यों की उपस्थिति प्रार्थित है। विषय-सूची पटल पर प्रस्तुत की जावेगी।

आदेशानुसार


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

पृ. क्रं. / 635 (1) पाठ्यक्रम / अका. / 2022

दिनांक 04 / 05 / 2022

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. (श्रीमती) प्रमावती शुक्ला, अध्यक्ष केन्द्रीय अध्ययन मंडल, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
2. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, हेमचंद्र यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
3. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
4. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)
5. अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल, मनोविज्ञान, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)
6. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
7. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय व्ही.वाय.टी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
8. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)
9. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)
10. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जांजगीर (छ.ग.)
11. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय बी.सी.एस. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
12. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, होलीक्रास कन्या महाविद्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)
13. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (छ.ग.)
14. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
15. विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान, शासकीय ई.वी. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोरबा (छ.ग.)
16. डॉ. भूपेदर सिंह, मनोविज्ञान, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)
17. डॉ. वशीर हसन, मनोविज्ञान अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
18. डॉ. जय सिंह, मनोविज्ञान, शासकीय भानुप्रताप देव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर (छ.ग.)
19. डॉ. (श्रीमती) प्रमावती शुक्ला, मनोविज्ञान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
20. श्रीमती जय श्री पंचागम, मनोविज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)
21. डॉ. श्रीमती बबिता दुबे, सहायक संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
22. कुलसचिव, छ.ग. के समस्त विश्वविद्यालय को इस निवेदन के साथ अग्रेषित की अपने क्षेत्राधिकार के संबंधित महाविद्यालय के शिक्षकों को बैठक की सूचना से अवगत करावें।

Principal

B.C.S. Govt. P.G. College

Dhamtari (C.G.)